रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D (D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 163] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 1978/चैत्र 8, 1900
No. 163] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 1978/CHAITRA 8, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1978

का० आ० 218 (अ)/18 ए/आई डी आर ए/78:—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मैसर्स आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाइवुड लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम, जिसकी बाबत उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन अन्वेषण किया गया है, ऐसी रीति से, जो लोकहित में अपेक्षित उपायकर है, चलाया जा रहा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वैस्ट बंगाल फोरेस्ट डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, 6-ए, राजा सुबोध मलिक स्क्वेयर, कलकत्ता-700013 को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) उक्त समस्त औद्योगिक उपक्रम, अर्थात् मैसर्स आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाइवुड लिमिटेड, कलकत्ता का,

निम्नलिखित निबन्धनो और शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(i) प्राधिकृत नियंत्रक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी अनुदेशों का पालन करेगा ।

(ii) प्राधिकृत नियंत्रक, राजपत्र मे इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से पाँच वर्ष के लिए पद धारण करेगा ।

(iii) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति को, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, तो इससे पूर्व भी समाप्त कर सकेगी ।

2. यह आदेश राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

[फा०स० 2/25/74-सी यू सी]
पी० सी० नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th March, 1978

S.O. 218(E)/18A/IDRA/78.—Whereas the Central Government is of the opinion that Messrs. Aloke Udyog Vanaspati and Plywood Limited, Calcutta, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to the public interest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the West Bengal Forest Development Corporation Limited, 6A, Raja Subodh Mallick Square, Calcutta-700013 (hereinafter referred to as the Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said industrial undertaking, namely, Messrs. Aloke Udyog Vanaspati and Plywood Limited, Calcutta, subject to the following terms and conditions, namely :—

(i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government.

(ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

(iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 2/25/74-CUC]

P. C. NAYAK, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978